

170/2006

प्रकरण सं.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

दिनांक

शावमान काश्तकारी आलिनिधम की धारा 53

26/11/24

पत्रावली पेशा हुई। वादी-जामिनीवादी एवं उधमपसकारान्
आदिबक्ता अनुपस्थित। वादी एवं जामिनीवादीगण
को तथा उधमपसकारान् आदिबक्ता को निदमगण
लीन वा आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई
उपस्थित नहीं आया। वादी-जामिनीवादीगण एवं
उधमपसकारान् आदिबक्ता के न्यायालय में
उपस्थित नहीं होने से न्यायालय में पुनः एकवार
आवाज लगवाई गई परन्तु उधमपसकारान् एवं
उनके आदिबक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं
आये। वादी ~~के~~ द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा
53 शावमान काश्तकारी आलिनिधम को अदम
हजरी) अदम पौबी में प्रार्थित किया जाता है
निष्पत्ति करे इजलास सुनाया गया। रिश्ती पची
जारी है। पत्रावली तामिल शुभा लोक दामिल
अफवा हो तथा नम्बर से कम है।

~~सहायक क्लर्क~~
धीलेवाड़ा

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. शंकरदास पुत्र घीसुदास बैरागी आयु 60 साल निवासी सुखाडियानगर के पास मलाण तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भगवतीदास पुत्र लक्ष्मणदास बैरागी निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सायर देवी पत्नी प्रभुदास बैरागी निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. मंगीदास पुत्र रामचन्द्रदास बैरागी निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 170/2006 राजस्व वाद

वादी स्वयं एवं वादी अधिवक्ता श्री श्यामलाल आगाल उपस्थित नहीं - इस वाद में आज तारीख 26.11.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा